न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील / 39 / 2016

श्री गिर्राज शरण पुत्र पूरन सिंह जाति जाट निवासी ग्रांम करीली थाना नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राज.सरकार जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 93 / 73

उपस्थित :–
श्री मनहर सिंह , अभिभाषक अपीलान्ट

आदेश दिनांक 29.1.2018

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के पत्र 661 दिनांक 12.1.2012 जिसमें अपीलार्थी के आर्म्स अनुज्ञापत्र रिन्यूल नहीं किये जाने की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 93 / 73 डीएम भरतपुर कार्यालय आदेश कमांक / न्याय / 2013 / 4698 दिनांक 1.10.13 से निलम्बित किया गया था। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के उक्त आदेश कमांक / न्याय / 2013 / 4698 दिनांक 1–10–2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहाँ अपील पेश की गई।

माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29–9–2016 के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :–

> ".....अपील स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 93 / 73 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक 01.10.13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तार्किक एवं न्याय संगत स्पीकिग आदेश पारित करें.....।"

प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–9–2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भरत / जिविशा / 2017 / 605 दिनांक 12.5.17 शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने फार्म न.3 के साथ माननीय अपर सैशन न्यायाधीश (ट्रेक) संख्या–2 भरतपुर के निणर्य दिनांक 2.1.2002 की फोटो प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट को सुना गया।

.....2

Web copy Not Official

अपील / 39 / 2016
गिर्राज शरण बनाम सरकार

योग्य अभिभाषक का कहना है कि जिन मुकदमा को लेकर अपीलार्थी का आर्म्स लाईसेन्स निलम्बित किया गया था उन सभी मुकदमों में अपीलार्थी दोष मुक्त हो चुका है। उन्होने प्रस्तुत फोटो प्रति निर्णय दिनांक 2.1.2002 न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश की निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा दूसरे प्रकरण के सम्बन्ध में उन्होने बताया कि इसकी नकल नहीं मिल सकी क्यों कि पत्रावली तलफ हो चुकी है, जिसमें अपीलान्ट बरुये राजीनामा बरी हो गया है। अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आर्म्स लाईसेन्स रिन्यूल किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भरत / जिविशा / 2017 / 605 दिनांक 12.5.17 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया है कि :–

"......अ.स. 330 / 99 धारा 323,341,325 भा.द.स. में दर्ज हुआ
जिमसें चालान पेश न्यायालय किया गया न्यायालय द्वारा
दिनांक 18.3.2002 को बरुये राजीनामा बरी हुआ है.......।"

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपने रिपोर्ट में आर्म्स लाईसेन्स रिन्यू किये जाने अथवा नहीं किये जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 93 / 73 को दिनांक 1–10–2013 को निलम्बित किया गया था। वर्तमान में Arms Rules.2016 प्रचलन में हैं। अतः योग्य अभिभाषक को निर्देशित किया गया कि वे वर्तमान में प्रचलित Arms Rules.2016 नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, प्रार्थना पत्र पर बाद कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में प्रचलित नियम (Arms Rules.2016) परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी से आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official